न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 179/2008

वादीगण :-

1. मनीषा देवी पुत्री सरदारमल
2. मन्जूदेवी पुत्री सरदारमल
   जाति-कुमावत, निवासीगण-धनेरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. जेठाराम पुत्र गोकलराम
   जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/07/2008

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 13/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके खसरा नम्बर 370 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम लगान 20.35 रुपये की आई हुई हैं। जिसकी 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्से यानि कुल का 1/15वां हिस्सा वादीगण का आया हुआ हैं। जिसके वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं उक्त हिस्से की आराजी में वादीगण की ट्यूबवेल भी खुदी हुई हैं। उक्त आराजी की जमाबंदी खतौनी सम्वत 2061 से 2065 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेश व लठ्ठा नक्शा की प्रमाणित प्रति साथ पेश की हैं। उक्त आराजी को आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। वादीगण जो कि नाबालिग हैं एवं उनके माता व पिता का देहान्त आज से करीब 4 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। वादीगण की माता का देहान्त दिनांक 23/10/2007 को एवं पिता का देहान्त दिनांक 09/03/2003 को हो चुका है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया वाद के साथ पेश की जा रही हैं। जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें तथा वर्तमान में बरसात होने के कारण वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को बोने के लिये ट्रेक्टर वगैरह व परिवार के सदस्यों के साथ गये तब प्रतिवादी जो जेठाराम वादीगण के रिश्ते में पिता का मामा लगता हैं, जो जबरदस्ती वादीगण व उनके परिवार के सदस्यो के आडे फिरा व उक्त भूमि पर फसल नहीं बोने का कथन किया व कहा कि वादीगण दोनों ही लडकियां हैं। इसलिये यह अपने ससुराल चली जायेगी एवं इनके माता पिता का भी देहान्त हो चुका हैं। इस कारण अब यह भूमि इनके किसी काम की नहीं हैं एवं मै इस भूमि पर जबरन कब्जा करुगा व वादीगण को बेदखल कर दूंगा व ट्यूबवेल से इस जमीन की पिलाई आदि करुगा। तब वादीगण के बडे पिता सुगनाराम ने प्रतिवादी को ऐसा करने से मना किया तो भी प्रतिवादी नहीं माने वादीगण के साथ धक्का धूम देकर उनको इस जमीन से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को इस विवादित आराजी से बेदखल किया, तो वादीगण को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से वंचित होना पडेगा, तब वादीगण व उनके परिवार के सदस्य प्रतिवादी को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें, जिससे मौके पर विवाद होगा व टन्टा फसाद होगा। तब वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी व वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी एवं वादीगण को होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। इसलिये वादीगण के पास अदालत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हाजा में यह वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञ का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया जा रहा हैं। उक्त वाद में वादीगण जो कि नाबालिग हैं एवं उनके माता पिता का देहान्त हो चूका हैं। इसलिये यह वाद पेश करने में असमर्थ हैं, जिस कारण से जरिये संरक्षक उनके बडे पिता सुगनाराम पुत्र हीराराम कुमावत निवासी धनेरिया को कुदरती वली सरंक्षक बनाकर यह वाद पेश किया जा रहा हैं। जिसे हेतु अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 2 सीपीसी का श्रीमान के समक्ष अलग से पेश किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 06/07/2008 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण व उनके परिवार के सदस्यों को वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल करने व जबरदस्ती कब्जा कर लेने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-बलून्दा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकर में हैं।

इस प्रकार वकील वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से श्री ओमप्रकाश पंचारिया एवं श्री महेन्द्र प्रजापति, अधिवक्तागण ने वकालतनामा दिनांक 28/07/2008 को पेश किया, सा0मि0 हैं। जिन्हें लगातार अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किया हैं दिनांक 14/01/2015 को वकील मय प्रतिवादी जेठाराम ने No Instruction plead किया हैं। जिससे जबाबदावा बन्द किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के संलग्न प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण स्वयं खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं। स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने के सम्बन्ध में वकील मय प्रतिवादी को कोई आपति नहीं होना स्पष्ट रूप से साबित हैं। लिहाजा माफिक दावा डिक्री किया जाना तथा वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि में कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके खसरा नम्बर 370 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि में कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0** वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी :-

1. मनीषा देवी पुत्री सरदारमल
2. मन्जूदेवी पुत्री सरदारमल
   जाति-कुमावत, निवासीगण-धनेरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. जेठाराम पुत्र गोकलराम
   जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:179/2008

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वाके खसरा नम्बर 370 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि में कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहरी

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०३	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०८	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner